जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शुरू

अरवल। जिलाधिकारी अमृषा बैंस की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या परिगणना को लेकर दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 30 एवं 31



आंकड़ों की शुद्धता और पारदर्शिता के साथ जनगणना कार्य करें पूरा : अमृषा

अक्टूबर को आयोजित इस प्रशिक्षण में जिला स्तरीय पदाधिकारी और सभी चार्ज पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीएम ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है। इससे प्राप्त आंकड़े विकास योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के उचित वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी चार्ज पदाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण में प्रश्नावली, डिजिटल माध्यम, डेटा प्रविष्टि, सत्यापन एवं निर्धारित प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। डीएम ने आंकड़ों की शुद्धता, व्यक्तिगत सूचनाओं की गोपनीयता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जनगणना कर्मी नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें तथा आपसी समन्वय से कार्य को समयबद्ध पूरा करें।

सोन नदी पुल से गिरकर महिला की मौत

अरवल। सहार स्थित सोन नदी पुल से नदी में गिरने के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान अरवल सदर थाना क्षेत्र के सिपाह गांव निवासी सुरेश प्रसाद की पुत्री पूजा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला के नदी में गिरने की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचाने के लिए नदी में उतरकर प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे अरवल सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय स्तर पर महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। महिला ने नदी में छलांग लगाई थी या पैर फिसलने से दुर्घटनावश गिर गई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

डीएवी पब्लिक स्कूल में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरुकता कार्यक्रम

अरवल। डीएवी पब्लिक स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे सर ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकार, साइबर अपराध, बाल विवाह निषेध कानून, आत्मसुरक्षा एवं न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। साथ ही, बच्चों को आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों और कानून के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य धीरज मिश्रा ने ब्रह्ड महोदय को बुके एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता राजेश चंद्रा सहित विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास कुमार यादव ने किया। उद्देश्य स्पष्ट है- हर बच्चा अपने अधिकारों को जाने, कानून के प्रति जागरूक बने और सुरक्षित बचपन के साथ उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़े।



डीएम के जनता साक्षात्कार में आठ लोगों ने रखीं समस्याएं

अरवल। डीएम अमृषा बैंस ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब आठ लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें रखीं। इनमें भूमि विवाद, वासगीत पर्चा, जमीन की मापी, पुलिस एवं राजस्व से जुड़े मामले प्रमुख रहे। डीएम ने अधिकांश मामलों का मौके पर निष्पादन करते हुए शेष शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बभन बिगहा निवासी उमेश्वर प्रसाद की जमीन की मापी में देरी पर डीएम ने सीओ को समय पर मापी कराने तथा अमीन से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। वहीं सेनारी निवासी मनोरमा कुमारी की धमकी से संबंधित शिकायत पर एसपी को नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। ओझा बिगहा निवासी काशी राम के बंदोबस्त पर्चा संबंधी आवेदन पर भी सीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

सर्किल इंस्पेक्टर ने रामपुर चौरम थाना का किया निरीक्षण

लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

अरवल। सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने रामपुर चौरम थाना का निरीक्षण कर लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान की प्रगति की जानकारी ली तथा थानाध्यक्ष मोनाली कुमारी को सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया। साथ ही अनुसंधानकर्ताओं को कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा प्राथमिकता के आधार पर सभी कांडों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

लोक शिकायतों के निष्पादन में लापरवाही पर होगी काररवाई : डीएम

अक्टूबर में जिला व अनुमंडल कार्यालय में मिले 385 आवेदन, 129 का हुआ निष्पादन

अरवल। डीएम अमृषा बैस की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में लोक शिकायत निवारण से संबंधित मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अक्टूबर माह में प्राप्त शिकायतों एवं उनके निष्पादन की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में 178 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 52 का निष्पादन किया गया। वहीं, अनुमंडल कार्यालय में प्राप्त 207 आवेदनों में 77 का निष्पादन हुआ। डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय पर निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही तय होगी तथा नियमानुसार शास्ति भी लगाई जाएगी। उन्होंने बीडीओ एवं सीओ को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर शिकायतकर्ताओं को वास्तविक एवं संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और भरण-पोषण को लेकर डीएम ने की बैठक

अरवल। जिलाधिकारी अमृषा बैस की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 और बिहार नियमावली, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा, भरण-पोषण और बेहतर जीवनयापन की व्यवस्था करना परिवार, समाज एवं प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत संतान एवं संबंधित उत्तराधिकारियों को अपने माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभानी होगी। बैठक में वृद्धजन आश्रय गृह (केयर होम) में भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास एवं देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन करने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया।

बैठक में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चक्रवाती तूफान अर्नब का असर लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

धान की फसल पर मंडराया बर्बादी का खतरा, किसानों की बढ़ी चिंता

अरवल। चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से जिले में लगातार हो रही बारिश और तेज आंधी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के चलते लोगों को घरों से निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं मौसम में बदलाव के कारण ठंड भी बढ़ गई है। खराब मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई धान की फसल पर बारिश और तेज हवा का प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कई किसानों को डर है कि लगातार बारिश और आंधी के कारण धान की फसल खेतों में गिर सकती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम का यही हाल बना रहा तो तैयार हो रही फसल को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल लगातार खराब मौसम से आम लोगों के साथ-साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ गई है।

30 विद्यालयों के 94 प्रतिभागियों ने युवा उत्सव में लिया हिस्सा

विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाया हुनर

अरवल। कला एवं संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय युवा उत्सव-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस वर्ष उत्सव की थीम विकसित भारत एवं नशामुक्त भारत रखी गई थी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा के साथ कला, संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने तथा नशे से दूर रहकर समाज को जागरूक करने की अपील की। उत्सव में जिले के 30 विद्यालयों के कुल 94 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। लोक समूह गायन में 52, लोक समूह नृत्य में 32 तथा चित्रकला प्रतियोगिता में 10 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। लोक नृत्य में प्लस टू उच्च विद्यालय जयपुर प्रथम, फखरपुर द्वितीय तथा किंजर तृतीय स्थान पर रहा। लोक समूह नृत्य में प्लस टू उच्च विद्यालय करपी प्रथम और पीएम श्री उच्च विद्यालय रोहाई द्वितीय स्थान पर रहा। चित्रकला प्रतियोगिता में प्लस टू उच्च विद्यालय बेलसार के प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया।



वर्गीकृत

NAME CHANGE

I hitherto known as MD SAHJAD S/O MD ISHA R/O Baghant, PO-Baghant, Dist-Darbhanga, Bihar-847422 have changed my name and shall hereafter be known as MD SHAHZAD. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

शपथ पत्र

मैं, कावो देवी पति फूलिन राम ग्राम लक्ष्मीनिया वार्ड नं 10 पंचायत घोड़दौड़ पो.पहाड़पुर थाना बनमा ईटहरी जिला सहरसा शपथपूर्वक बयान करती हूं कि मेरे आधार में मेरा नाम कावो देवी पति फूलिन राम है, जबकि घोड़दौड़ स्थित एसबीआई में मेरे खाता 32459860762 में मेरा नाम पाबो देवी पति फूलिन देवी दर्ज हो गया है। मैं अपने आधार में दर्ज सही नाम के अनुसार बैंक खाता में दर्ज करने हेतु शपथ पत्र बनाया हूं। शपथ पत्र सं. 1673 दि. 24.10.26

शपथ पत्र

मैं, रोहित कुमार यादव (ROHIT KUMAR YADAV) उर्फ शत्रुघ्न कुमार (SHATRUGHAN KUMAR) उम्र करीब 34 वर्ष पुत्र दशरथ यादव जन्म तिथि 7-7-1992, निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर देवरिया टेकनवास रिविलगंज जिला सारण बिहार शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरे आधार कार्ड नं.-724089832852 एवं पैन कार्ड तथा वोटर कार्ड में में मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार (SHATRUGHAN KUMAR) तथा जन्म तिथि 26.01.1988 दर्ज है। जबकि ग्राम पंचायत टेकनवास के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिनांक 8.10.2026 को निर्गत किये गये जन्म प्रमाण पत्र में मेरा नाम रोहित कुमार यादव (ROHIT KUMAR YADAV) तथा मेरा जन्म तिथि 7-7-1992 दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा है. जन्म प्रमाण पत्र में दिये गये विवरण के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों में सुधार के लिए यह शपथ पत्र है. 2313/30-10-26

9/506/26

शपथ पत्र

मैं, J.C. 355976H Rank NB SUB (ORL) अमरनाथ राय उम्र 57 वर्ष पिता स्व.सुभाग राय ग्राम पहिंया पो.वो थाना रिविलगंज जिला सारण बिहार 841305, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे सर्विस बुक मे मेरी पुत्री Anjali Kumari जन्म तिथि 18-04-2000, Rajnandani Kumari जन्म तिथि 10-01-2006 एवं पुत्र Shivam Kumar जन्मतिथि 29-01-2008, Adarsh Kumar जन्म तिथि 03-01-2014 दर्ज है, जो गलत है, जबकि मेरे पुत्र एवं पुत्री का सही जन्म तिथि-Anjali Kumari जन्म तिथि 2-1-2000, Rajnandani Kumari जन्म तिथि 20-01-2009 एवं पुत्र Shivam Kumar जन्म तिथि 29-07-2012, Adarsh Kumar जन्म तिथि 3-2-2017 हैं, जो उसके आधार कार्ड में दर्ज हैं, मेरे सर्विस बुक में सही जन्म तिथि सुधारने के लिए यह शपथ पत्र है, शपथ पत्र संख्या-2291/28-10-26

/506/26

पाठकों से

'आज' में छपे किसी भी विज्ञापन के सम्बन्ध में पाठक स्वत: जांच करके कार्य करें। इसके संबंध में कोई भी दावा 'आज' प्रकाशन पर न होगा।

प्रबंधक

पीएम सूर्य घर योजना को लेकर डीएम ने की समीक्षा

अरवल। जिलाधिकारी अमृषा बैस की अध्यक्षता में शुक्रवार को



समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी तथा सोलर पैनल लगाने वाले वेंडर शामिल हुए। डीएम ने निर्देश दिया कि योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को आवेदन, दस्तावेज, वेंडर चयन, सोलर पैनल अधिष्ठापन और अनुदान प्राप्ति में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विद्युत विभाग एवं वेंडरों को आपसी समन्वय से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा। योजना के तहत एक किलोवाट सोलर पैनल पर 40 हजार, दो किलोवाट पर 80 हजार तथा तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर 98 हजार रुपये तक केंद्र एवं बिहार सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। यह सुविधा 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध है। डीएम ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।

Affidavit

I, Sister Francis Xavier C/o Selma R/o Near Tripolia Hospital Gulzarbagh P.S.-Alamganj Distt.-Patna vide Affidavit No. 7538 date 30.10.26 declare that Sister Francis Xavier and Sister Xavier both name are same and one person. Now I will be known as Sister Francis Xavier for all purposes.

CM-6973

शपथ पत्र

मैं, Sister Framcis Xavier C/o Selma निवास त्रिपोलिया हॉस्पीटल के नजदीक, गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना शपथ पत्र सं. 7538 ता. 30.10.26 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि Sister Francis Xavier और Sister Xavier दोनों नाम मेरा ही है। अब मैं सभी कार्यों के लिए Sister Francis Xavier के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

NAME CHANGE

I, GUDIA KUMARI D/o RAJARAM VERMA W/o ANKIT KUMAR, R/o Madhura West Ward No 14, Narpatganj, PO: Narpatganj, DIST: Araria, Bihar - 854335, have changed my name and shall hereafter be known as KUMARI PUJA.

NAME CHANGE

I, VIKAS KUMAR YADAV alias VIKAS KUMAR S/o BIRENDRA NATH YADAV, R/o Chatara, Akhatwara, Anchal Gaura Bauram, Akhtwara, PO: Kothram, DIST: Darbhanga, Bihar - 847203, have changed my name and shall hereafter be known as VIKAS KUMAR.

NAME CHANGE

I, RAJEEV RANJAN S/o RAJESHWAR PRASAD , R/o Sriram Nagar korai Post-Deepnagar, Dist. Nalanda, Bihar-803111, have changed the name of my minor daughter TEJASWANI alias TEJASWANI MAURYA, aged 11 years and she shall hereafter be known as TEJASWANI MAURYA.

CHANGE OF NAME

I,Soraiya Pravin W/o-Mohammad Saulat Hussain, Resident of At+Post-Hussaina, Ps-Ballia,Dist-Begusarai do hereby declare that I have changed my Daughter's name from Old Name Miswah Hussain to new Correct Name Misbah Hussain and henceforth she shall be known as New Correct Name Misbah Hussain in all purpose, vide affidavit no-17579,Dated-28/10/2026.

शपथ पत्र

मैं लवकुश यादव, पिता-बाबू यादव, निवासी-ग्राम-ज्ञानपुर, पो.-नथमलपुर, थाना-सिन्हा, जिला-भोजपुर, बिहार शपथ पत्र सं.-574, दिनांक 03.10.2026 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे आधार कार्ड सं. 855895179534 में अंग्रेजी में मेरा नाम Lavkush Yadav दर्ज है लेकिन दूसरे आधार कार्ड में Labkush Kurmi C/o Baru Kurmi दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम Lavkush Yadav है।

9/482/26

नाम परिवर्तन

मैं, अंकिता ठाकुर, पिता-श्री विनोद कुमार, पता-सहरसा गंगजला, पो.+थाना-सहरसा, जिला-सहरसा, पिन कोड-852201, बिहार वर्तमान पता अम्बे श्री अपार्टमेंट, फ्लैट नं.-04, ब्लॉक-सी, देवनगर, रूकनपुरा, पो.-बी.भी. कॉलेज, थाना-रूपसपुर, जिला-पटना-800014 (बिहार) द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरे पिता का नाम गलती से विनोद ठाकुर अंकित हो गया है। परन्तु मेरे आधार सं. 901379653416 में मेरे पिता का नाम (Vinod Kumar) विनोद कुमार सही अंकित है। शपथ पत्र सं. 6315 दिनांक 27.10.2026 के आलोक में मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पिता का सही नाम विनोद कुमार (Vinod Kumar) को कराने हेतु प्रकाशन करा रही हूं। यही सभी कार्य में मान्य होगा।

CM-6975

Name Change

I, Ankita Thakur D/o Vinod Kumar R/o Saharsa Gangla P.O.+P.S.-Saharsa, Distt.-Saharsa, Pin No.-852201, Bihar, Present Adress Amby Shree Apartment Flat No.-04, Block-C Devnagar, Rukanpura, P.O.-B.V. College, P.S.-Rupaspur, Patna-800014 (Bihar) Affidavit No.-6315 dated 27.10.2026 declare that my Aadhar No.-901379653416 in my Father correct name Vinod Kumar and my education certificate in my Father name Vinod Thakur is wrong. correct name my father Vinod Kumar. I will be known as Vinod Kumar for all purposes.

CM-6975

डीएम ने की ई-केवाईसी एवं राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा

जहानाबाद। डीएम छिरिङवाई भूटिया की अध्यक्षता में राशन कार्ड से संबंधित ई-केवाईसी, नए राशन कार्ड के आवेदनों के निष्पादन एवं राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त लगभग 9000 आवेदनों में से 5000 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि लगभग 4000 आवेदन विपणन पदाधिकारियों के स्तर पर क्षेत्रीय सत्यापन हेतु लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का क्षेत्रीय सत्यापन पूर्ण करने तथा एमओ एवं अनुमंडल पदाधिकारी लॉगिन के बीच लंबित मामलों का दो दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीएम ने पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभुकों का राशन कार्ड निर्माण सुनिश्चित करना है। विभागीय स्वीकृति प्राप्त होते ही पुराने प्रावधान के अंतर्गत लगभग 9000 से 10000 पात्र आवेदनों के राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि राशन कार्ड संबंधी कार्यों में जहानाबाद जिला वर्तमान में राज्यस्तरीय रैंकिंग में सातवें स्थान पर है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए जिले की रैंकिंग में और सुधार लाने का निर्देश दिया।

बीएलओ की बैठक में योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने का निर्देश

मखदुमपुर। प्रखंड के प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल परिसर में शुक्रवार को बीएलओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी राहुल कुमार एवं बीडीओ राजेश कुमार दिनकर मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित बीएलओ को विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन से संबंधित दावा-आपत्ति का कार्य भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और उन्हें जागरूक करें, बैठक में मास्टर ट्रेनर जितेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में बीएलओ उपस्थित रहे।

बैंकर्स समिति की बैठक में पेंशनधारियों, किसानों और सोलर ऋण पर हुई चर्चा

मखदुमपुर। शुक्रवार को मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ राजेश कुमार दिनकर की अध्यक्षता में बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बीडीओ ने बैंक प्रतिनिधियों को पेंशनधारियों को बेहतर एवं सुलभ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों को भी कृषि कार्यों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। बैठक में बैंक ऋण की वसूली को लेकर भी चर्चा हुई। बीडीओ ने बकाया कि ऋण जमा नहीं करने वाले कर्जदारों के घर नोटिस जारी करने तथा उन्हें बैंक का बकाया ऋण जमा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डीएम के जनता दरबार में 44 मामलों की सुनवाई

जहानाबाद। आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से शुक्रवार को जिलाधिकारी छिरिङवाई भूटिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जनता दरबार में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 44 आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुईं। जिलाधिकारी ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक आवेदन की समुचित जांच कर नियमानुसार समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में मुख्य रूप से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, खराब चापाकलों की मरम्मत, आवास योजना का लाभ, नाली एवं यात्री शेड



निर्माण, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के किराया भुगतान, अतिक्रमण हटाने, आम रास्ते पर दीवार निर्माण, भूमिहीन परिवारों को पर्चा निर्गत करने, टोला सेवक की नियुक्ति तथा मकान तोड़कर नाला निर्माण किए जाने से संबंधित शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों की गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए उनका नियमानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा सभी विभाग संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सबका सम्मान जीवन आसान की भावना के अनुरूप आमजनों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जनता दरबार में उप विकास आयुक्त आदित्य कुमार पियूष, अपर समाहर्ता (राजस्व) अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता (विशेष कार्यक्रम) तेज नारायण राय, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) विनय कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा रोहित कुमार मिश्रा, निदेशक एनईपी सुदर्शन कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

15 से शुरू होगी धान अधिप्राप्ति

जहानाबाद। जिलाधिकारी छिरिङवाई भूटिया की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति प्रारंभ होगी। इस वर्ष सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान का 2,461 प्रति क्विंटल निर्धारित है। जिलाधिकारी ने जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे सहकारिता विभाग के ई-सहकारी पोर्टल पर यथाशीघ्र अपना निबंधन सुनिश्चित करें। धान की खरीद केवल निबंधित एवं पात्र किसानों से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल एवं गैर-रैयत किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। किसानों को अपनी फार्मर आईडी भी समय पर बनवाने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के लिए केवल गैर-डिफॉल्टर एवं कार्यशील पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, वास्तविक आवक का भौतिक सत्यापन एवं समयबद्ध भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी अथवा शिकायत के लिए किसान अपने संबंधित पैक्स, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अथवा सहकारिता विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

शाखा हरपुर बेलवा, जिला वैशाली, बिहार पिन कोड-844126
Mo. 9264291683, Email-bmmuza2499@centralbank.bank.in

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे आवेदक/लोन धारक श्रीमती पूनम देवी, पति-श्री रामबाबू सिंह, निवासी-ग्राम पौड़ मय साह मोहम्मदपुर, डाकघर (पौड़), थाना-तिसिऔता, जिला-वैशाली (बिहार) ने अपनी निम्नलिखित वर्णित अचल संपत्ति को बंधक (Mortgage) रखकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा हरपुर बेलवा से होम लोन (Home Loan) के लिए आवेदन किया है।

संपत्ति का विवरण :-

* **दस्तावेज प्रकार** :- मूल कबाला (Sale Deed) * दस्तावेज संख्या-7390, * पंजीकरण तिथि : 19.07.1997 * खेसरा नंबर :-हाल खेसरा नंबर 1117 (अंदर हाल संख्या-100) * रकबा : 4 डिसमिल * स्थान : ग्राम-पौड़ मय साह मोहम्मदपुर, थाना-तिसिऔता, जिला-वैशाली (बिहार) आवेदक के अनुसार उक्त संपत्ति का मूल कबाला (Original Sale Deed) बाजार में फोटोकॉपी कराने ले जाने के क्रम में कहीं खो गया है, जिसके संबंध में तिसिऔता थाना में सनहा/एफआईआर और कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र (Affidavit No.-01, दिनांक 07.08.2025) दर्ज है। अत: इस संपत्ति पर लोन/बंधक निर्माण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक को किसी भी प्रकार की आपत्ति, दावा, स्वत्व (Title) या वित्तीय प्रभार (Charge/Lien) हो, तो वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने साक्ष्यों और लिखित दस्तावेजों के साथ नीचे दिये गये बैंक के पते पर शाखा प्रबंधक से संपर्क करें।

यदि नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि उक्त संपत्ति पूरी तरह से भार-मुक्त (Clear-Marketable Title) है और बैंक बिना किसी अन्य सूचना के इस संपत्ति पर होम लोन की प्रक्रिया और बंधक निर्माण की कार्रवाई पूरी कर देगा। इसके बाद प्राप्त किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्राधिकृत अधिकारी Central Bank of India	दिनांक : 23.10.2026 स्थान : हरपुर बेलवा